

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-अमरोहा

फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)
कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद-अमरोहा उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या प-०५/सिर्फि/सी०ए०ड०ड००१ इलाम । २०१९.

दिनांक ०५.०५.२०१९

सेवा में

स्वामी/प्रबन्धक

MIS. दिल्ली पावलक रसूल
जनपद उत्तराखण्ड भागलूला
जनपद माराठा - पृ.५

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सचरा :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या ०५-५ दिनांक ०५.०५.२०१९.

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध २०.५.१९
अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-११२०(१) / आठ, दिनांक २७-१२-१९८२ में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारितशुल्क रूपये २००१-दो सौ रुपये ११८ भारतीय स्टेट बैंक शाखा लाला राज
जनपद माराठा में चालान संख्या ४५-३२२०३ दिनांक ०५.०५.२०१९ द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त २०.५.१९ अदद फासर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है:-

- चेकिंग का दिनांक ०५.०५.२०१९-
- पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चंकिंग अधिकारी का नाम कामरुल खालील को सिंह द्वा० माराठा
- संस्थान का विवरण MIS दिल्ली पावलक रसूल उत्तराखण्ड भागलूला
- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या १० ५.५.१९
- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या १० ५.५.१९
- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
१.०१	<u>एक्स्टिंग्यूशर</u>	०४५१७.१६ सॉल्ट	<u>सॉल्ट</u>	<u>कामरुल</u>
२.०२	" "	" "	०५-४९८	<u>भागलूला</u>
—	—	—	—	—

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफलिंग/हाइड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएं वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरों के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफलिंग/हाइड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरवायित भवन प्रबंधक/भवन स्वामी का होगा।

—

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

१. उप निदेशक परिक्षेत्रीय बरेली

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-माराठा
C.P.O.
A.M.H.

गर्यालय

पत्र संख्या: व-५-सीएफओ-२०१८
सेवा में,

स्वामी/प्रबंधक
मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल
अतरासी रोड अमरोहा,
तहसील व जनपद अमरोहा।

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

अमरोहा

दिनांक: अप्रैल ३०, २०१८

विषय:— मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल, अतरासी रोड अमरोहा, तहसील व जनपद अमरोहा के निर्मित भवन में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बंध में

संदर्भ:— आपका प्रार्थना पत्र शून्य

दिनांक 28.04.2018

कृपया उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र के कम में मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल, अतरासी रोड अमरोहा, तहसील व जनपद अमरोहा के निर्मित भवन में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों का अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया गया। उक्त प्रश्नगत भवन में स्थापित 20 अद्द फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण/अनुरक्षण करा लिया गया है तथा शासनादेश संख्या: 1120 (1)/आठ, दिनांक: 27.12.1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क ₹ 200.00 भारतीय स्टेट बैंक शाखा अमरोहा, जनपद अमरोहा में चालान संख्या: 35 दिनांक: 27.04.2018 के द्वारा जमा करा दिया गया है। उक्त प्रश्नगत भवन में स्थापित 20 अद्द फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशील दशा में उपलब्ध पाये गये।

प्रश्नगत भवन को मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमरोहा के पत्र संख्या: 2015/16584/अम/अमरोहा/242/डीडी/31 दिनांक 22.12.2015 के अनुसार अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

अतः मैसर्स दिल्ली पब्लिक स्कूल, अतरासी रोड अमरोहा, तहसील व जनपद अमरोहा के निर्मित भवन में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है। समय—समय पर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबंधक/स्वामी का होगा।

यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशरों के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है।

(विजय कमार दिह)
(विजय कमार दिह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
जनपद-अमरोहा

Appendix VII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. P-09/C.F.O./Amroha/2017

Dated: 06-07-2017

Certified that the DELHI P.D.B.L.I.C. S.C.H.O.O.L. AMROHA (name of the building or premises) at ..NEAR R.T.O. OFFICE, ATRASI ROAD, AMROHA..... (address) comprised of GROUND FLOOR..... basement(s) and 1ST FLOOR..... (upper floors) owned/occupied by DELHI P.D.B.L.I.C. S.C.H.O.O.L. AMROHA, U.P., INDIA..... (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on.... 06-07-2017 (date of inspection) in the presence of T.U.S.H.A.R. C.I.D.P.T.A. (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class Educational with effect from... 6-07-2017 for a period of ONE (1) years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 06-07-2017 at 11:50 A.M. by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal :

Name

मुख्य अधिकारी
संतोष कुमार राज
जनपद - मुमुक्षु
प्रबोधनी

Designation

SANTOSH KUMAR RAI

C.F.O.
A.M.H.

To

DELHI PUBLIC SCHOOL, AMROHA

NEAR R.T.O. OFFICE

ATRASI ROAD, AMROHA, U.P.

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to (reasons to be recorded).

प्रोफार्मा-अ
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं 8299

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद.....मुम्बाइ

उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या प-११। तिथि स्विवेष्टिकृत कालाघट। २०।
सेवा में,

दिनांक ८-३-२०१२

स्वामी/प्रबन्धक,

M/S टिली पालक स्टूल
कल्पना रोड - भागदा
जनपद अमरावती उपम.

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या ३५४

दिनांक ३०५

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध २० (बीच)

अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शास्त्रादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-१२-1982 में दिये गये निचे अनुसार निर्धारित शुल्क रूपये २००/- दालानपात्र भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुम्बाइ जनपद मुम्बाइ में चालान संख्या ६००// दिनांक १५-०२-२०१२ द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त २० (बीच) अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

1. चेकिंग का दिनांक १६-०२-२०१२
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम।
3. संस्थान का विवरण M/S टिली पालक स्टूल भागदा
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या।
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या २० (बीच)
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील/अकार्यशील
१.	<u>ABC TX Fire Extinguisher</u>	<u>4+5Kg.</u>	<u>१६ साल</u>	<u>कार्यशील</u>
२-	<u>C02 //</u>	<u>4.5Kg.</u>	<u>०५ साल</u>	<u>कार्यशील</u>
-	-	-	-	-

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरों के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता/रिफिलिंग/हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक/भवन स्वामी का होगा।

(मुम्बाइ राज्य अपार्किंग अधिकारी)
मुम्बाइ राज्य अपार्किंग अधिकारी
अग्निशमन अधिकारी
मुहर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी.....।
2. उप निदेशक परिषेत्रीय.....।

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी मुरादाबाद।

पत्रांक:-स- ०/ /डीडीएफएस-स्कूल-13(अमरोहा) //
सेवा में,

दिनांक: ७ -01-2014

प्रबन्धक ,
शिव नारायण मैमोरियल वेल्फेयर सोसाइटी, अमरोहा
जनपद-अमरोहा।

विषय: - अतरासी अमरोहा रोड, अमरोहा के खसरा सं-2358/2, 2359/2, 2360/2 पर प्रस्तावित स्कूल भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका प्रार्थना पत्र दिनांक: 27-12-2013 के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक/सन्दर्भित अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 27-12-2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित एजुकेशनल भवन को अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित शासनादेशो के अनुपालन में भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवनों के लिये प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा के अनुरूप अग्निशमन अधिकारी अमरोहा से प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण कराया गया। अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति आख्या तथा उपलब्ध अभिलेखों का अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण किया गया, विवरण निम्नवत् है:-

1- भवन की संरचना :-

विद्यालय भवन का निर्माण केवल भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर कराया जाना प्रस्तावित है।

जिसका कुल प्लाट एरिया-6900.16 वर्गमीटर है।

प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-1634.52 वर्गमीटर।

प्रस्तावित प्रथम तल कवर्ड एरिया-1634.52 वर्गमीटर।

प्रस्तावित द्वितीय तल कवर्ड एरिया-1634.52 वर्गमीटर।

अधिभोग:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन०बी०सी० मानक-2005 की एजुकेशनल श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(2) ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था :-

1-पहुंच मार्ग:-प्रस्तावित विद्यालय भवन के सामने रोड की चौड़ाई मानक (12 मीटर) से कम है, जिसके सम्बन्ध में प्रबन्धक द्वारा विद्यालय प्रारम्भ करने से पूर्व मुख्य मार्ग से विद्यालय तक के पहँच मार्ग की चौड़ाई मानकों के अनुरूप(12 मीटर) करा दिये जाने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (दिनांक: 09-01-2014) प्रस्तुत किया गया है)

2-प्रवेश द्वार-04.50मी० चौड़ा।

3-सैट बैक-

अग्रभाग-09.74 मीटर चौड़ा।

पृष्ठ भाग मे-07.67 मीटर चौड़ा।

पाश्वर | -06.00 मीटर, से अधिक चौड़ा।

पाश्वर || -06.00 मीटर से अधिक चौड़ा सैट बैक मानचित्रों में दर्शाया गया है जिसमें किसी प्रकार का अस्थाई/स्थाई निर्माण मान्य नहीं होगा, सैट बैक को सदैव अवरोधमुक्त रखा जायेगा।

११
C.F.O.
MBD

क०प०प०.....

4-निकास मार्ग:—प्रश्नगत भवन में ऊपरी तलों से निकास हेतु 01.83 मीटर चौड़ाई के 02 स्टेयर केस मानचित्रों में दर्शाये गये हैं जिनकी ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।

5-अग्निशमन व्यवस्था

प्रस्तावित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 की टेबिल-23 के अनुसार प्राविधानित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:-

1-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण फायर एक्सटिग्यूशर) प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिग्यूशर आई0एस0 2190 के अनुसार प्राविधान किया जायेगा, जो एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार है।

2-हौजरील—प्रश्नगत भवन में एन0बी0सी0 मानक के अनुसार प्रत्येक तल पर स्टेयर्स के पास हौजरील का प्राविधान किया जायेगा।

3-टेरेस टैक व टेरेस पम्प—प्रश्नगत भवन की टेरेस पर टेरेस टैक क्षमता 10,000 लीटर व टेरेस पम्प 450 एलपीएम क्षमता का प्राविधान किया जायेगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रबन्धक, शिव नारायण मैमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, अमरोहा जनपद— अमरोहा को अतरासी अमरोहा रोड, अमरोहा के खसरा सं0-2358/2, 2359/2, 2360/2 पर प्रस्तावित स्कूल भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियामावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया—2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे। तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाये मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्नि शमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक:—अनुमोदित मानचित्र(एक सैट)

(वाई0 बी0 द्विवेदी)
मुख्य (आज्ञानसीमन छिपाकारी
मुख्य अमुरादाबाद अधिकारी
मुरादाबाद

प्रतिलिपि:

1—संयुक्त निदेशक फायर सर्विस उ0प्र0 लखनऊ को कृपया सूचनार्थ।

3—अग्निशमन अधिकारी अमरोहा को सूचनार्थ।

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक
दिल्ली पब्लिक स्कूल अतरासी रोड
अमरोहा, जनपद – अमरोहा।

विषय: शिवनारायण मैमोरियल वेलफेर सोसायटी द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल अतरासी रोड अमरोहा, जनपद– अमरोहा के निर्मित भवन को अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

- संदर्भ: 1. मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन शिक्षा (6) अनुभाग का शासनादेश सं 1528/79-6-08
दिनांक 27.07.2009.
2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका सं 483/2004 अवनीश महरोत्रा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2009 के अनुपालन में प्रदेश के स्कूलों / कालेजों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में सचिव, उ०प्र०शासन, शिक्षा (7) अनुभाग का शासनादेश सं 1801/15-7-09-1(124)/2009
दिनांक 20.07.2009 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति सम्बन्धी आद्या।
3. आपका ऑन लाइन UID No. 2015/16584/Amh/Amroha/242/DD dt. 19.12.2015 के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक / संदर्भित अपने ऑन लाइन पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उक्त प्रश्नगत निर्मित एजूकेशनल भवन को अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त विषयक संदर्भित शासनादेशों के अनुपालन में भारत की राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता-2005 में उल्लिखित शैक्षिक भवन के लिए प्राविधानित अग्नि सुरक्षा के अनुरूप स्थलीय निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अमरोहा द्वारा कराया गया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अमरोहा की निरीक्षण आद्या 20.12.2015 तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं मानचित्रों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिशीलन किया गया। विवरण निम्नवत है:-

1-भवन की संरचना :-

प्रश्नगत स्कूल भवन वर्तमान में भूतल एवं प्रथम तल पर निर्मित है।
जिसका कुल प्लाट एरिया- 6900.16 वर्ग मीटर।
भूतल का निर्मित कवर्ड एरिया- 1634.52 वर्ग मीटर।
प्रथम तल का निर्मित कवर्ड एरिया-1001.67 वर्ग मीटर।
भवन की ऊँचाई 7.30 मीटर।

2-(क) भवन की ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग- 16 मी० चौड़ाई का सड़क मार्ग उपलब्ध है।
2-प्रवेश द्वार - 4.50 मीटर चौड़ा है।

3-सैट बैक:-

अग्रभाग - 9.74 मीटर।
पृष्ठ भाग- 7.67 मीटर
पार्श्व I - 6.00 मीटर से अधिक।
पार्श्व II - 6.00 मीटर से अधिक।

4-निकास मार्गः—प्रश्नगत स्कूल भवन केवल भूतल एवं प्रथम तल पर निर्मित है। प्रथम तल पर निकास हेतु 03 स्टेयर केसों का प्राविधान है। जिनकी चौड़ाई 1.84 मीटर है तथा ड्रैवलिंग डिस्टेंस अनुमन्य सीमा के अर्त्तगत है।

ख—अग्नि शमन व्यवस्था:-


विद्यालय भवन में नैशनल बिल्डिंग कोड-2005 के पार्ट-4 की टेबिल-23 के अनुसार निम्नांकित अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध है।

1. **प्राथमिक अग्निशमन उपकरणः**— प्रश्नगत भवन में अग्नि शमन कार्य हेतु ए०बी०सी० टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस० 2190 मानक के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित किये गये हैं।
2. **एक्जिट साइनेजः**— प्रश्नगत भवन में एक्जिट साइनेज स्थापित किये गये हैं।
3. **पी०ए० सिस्टमः**— प्रश्नगत भवन में पी०ए० सिस्टम का प्राविधान किया गया है।
4. **अग्नि शमन उपकरणों के संचालन का प्रशिक्षण प्रबन्धकों द्वारा नियमानुसार कराया गया।**
5. **अग्नि शमन पद्धति का अनुरक्षण प्रतिवर्ष फायर एक्सटिंग्यूशर रिफ्लिंग नियमानुसार कराया जायेगा।**

अतः उपरोक्त विषयगत स्कूल को निम्नलिखित अग्निशमन व्यवस्था सम्बन्धी शर्तों के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया।

1. वर्तमान में विद्यालय भवन के प्रस्तुत मानवित्र के अतिरिक्त भविष्य में निर्माण करने की दशा में इस विभाग से पुनः अग्नि शमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
2. स्कूल की ढाँचागत सुरक्षा व्यवस्था की वर्तमान दशा, पहुँच मार्ग, सैटबैक, फायर स्केप व अग्नि शमन व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं की जायेगी।
3. विस्फोटक पदार्थों का भण्डारण विद्यालय परिसर में कदापि नहीं करेंगे।
4. स्कूल में भोजन / मिड-डे मील आदि तैयार करने सम्बन्धी कार्य केवल भूतल पर व निकास मार्गों से दूर टीन शैड में ही किया जायेगा।
5. वर्तमान में उपलब्ध अग्नि शमन व्यवस्था को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखना होगा तथा प्रतिवर्ष उपकरणों का निर्धारित शुल्क राजकीय कोष में जमा कराकर उनका निरीक्षण/अनुरक्षण कराकर नवीनीकरण कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में निर्गत अग्नि शमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

उक्त शर्तों के अधीन दिल्ली पब्लिक स्कूल अंतरासी रोड अमरोहा, जनपद-अमरोहा को अग्नि से सुरक्षा संबन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।


 एनुनेन्द्र कुमार रामार्थ
 मुख्य अग्निशमन अधिकारी
 जनपद-अमरोहा

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
2. जिला विद्यालय निरीक्षक अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रभारी अग्नि शमन केन्द्र अमरोहा को सूचनार्थ।